प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश और

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्र. 727/1993

जयचंद उर्फ जैसन और अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

विचारार्थ प्रस्तुत

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता
मैं सहमत हूँ।

सही/-
मुख्य न्यायाधीश
09/08/2010

दिनांक: 10.08.2008 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें।

सही/-
न्यायाधीश
09/08/2010

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायधीश और

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायधीश

दांडिक अपील क्र. 727/2010

अपीलार्थीगण

1. जयचंद उर्फ जैसन पिता आशाराम गांडा, आयु लगभग 19 वर्ष।
2. बिसम्भर उर्फ बिसम पिता महादेव गांडा, आयु लगभग 29 वर्ष।
3. बीसू पिता महादेव गांडा, आयु लगभग 25 वर्ष।
4. कामत उर्फ कामायू पिता अब्बी गांडा, आयु लगभग 25 वर्ष।
5. चेतन पिता भुवानो गांडा, आयु लगभग 25 वर्ष।

   (मृत्यु होने के कारण यह नाम दिनांक 28.7.2010 के न्यायालय आदेश द्वारा विलोपित करा दिया गया है।)
6. घासीराम उर्फ घासी नायक पिता भुवानो गांडा, आयु लगभग 18 वर्ष।
7. पादू उर्फ पादू लोचन पिता कवि लाल गांडा, आयु लगभग 18 वर्ष।
8. छबि राम पिता अरखित गांडा, आयु लगभग 50 वर्ष।

   (मृत्यु होने के कारण यह नाम दिनांक 28.7.2010 के न्यायालय आदेश द्वारा विलोपित करा दिया गया है।)
9. भुवानो पिता सादो गांडा, आयु लगभग 45 वर्ष।

   (मृत्यु होने के कारण यह नाम दिनांक 28.7.2010 के न्यायालय आदेश द्वारा विलोपित करा दिया गया है।)
10. पुस्तम पिता जगदीश रावत, आयु लगभग 30 वर्ष।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सभी निवासी खवासपारा, पुलिस थाना देवभोग, तहसील गरियाबंद,

जिला रायपुर (म.प्र.) (अब छत्तीसगढ़ राज्य)।

बनाम

<u>प्रत्यर्थी</u> मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

द्वारा पुलिस थाना देवभोग, जिला रायपुर

<u>(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के तहत दांडिक अपील।)</u>

उपस्थित:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सुश्री माया वर्मा, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण हेतु अधिवक्ता।

श्री अखिल मिश्रा, उप-शासकीय अधिवक्ता, राज्य हेतु अधिवक्ता।

<u>निर्णय</u>

(10/08/2010)

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय

<u>सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा घोषित किया गया -</u>

(1) यह अपील तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा सत्र विचारण क्र. 220/91 में पारित निर्णय दिनांक 8.7.93 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) अपीलार्थी क्र. 1 से 7 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तथा अपीलार्थी क्र. 8 से 10 को

भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत दोषी ठहराया गया और 6 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।

(3) अपीलार्थी क्र. 5 - चेतन, अपीलार्थी क्र. 8 - छबी राम और अपीलार्थी क्र. 9 - भुवानो की अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई, इसलिए उनके नाम हटा दिए गए हैं और उनके द्वारा दायर अपील समाप्त कर दी गई है।

(4) संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं:-

मृतक भिकारी उर्फ मुंगली, ग्राम पाइकपारा (उड़ीसा) का निवासी था। वह राधामल वैष्णव उर्फ राधामोहन दास वैष्णव (अ.सा.-1) का शिष्य था, जो एक निर्धन व्यक्ति था और ग्राम खवासपारा का निवासी था। दिनांक 3.3.90 को मृतक राधामल के घर गया था। वह लगभग 11:00 बजे सुबह घर से निकला था। उसी दिन उसका शव गाँव के बाहरी क्षेत्र के एक खेत में मिला। शरीर पर चोटों के निशान थे। अपीलार्थी क्र. 8 - छबी राम, अपीलार्थी क्र. 9 - भुवानो और अपीलार्थी क्र. 10 - पुस्तम के साथ थाने गए और मर्ग सूचना (प्रदर्श पी/22) दर्ज कराई, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। मर्ग सूचना में, उन्होंने यह नहीं बताया कि मृतक की मृत्यु अभियुक्तों द्वारा किए गए हमले के कारण हुई थी। दिनांक 4.3.90 को, जाँच अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे, पंचों को सूचना (प्रदर्श पी/23) दी, मृतक के शरीर पर पंचायतनामा (प्रदर्श पी/11) तैयार किया और शव को शव परीक्षण के लिए भेज दिया। डॉ. के.एल. बंजारे (अ.सा.-13) ने शव परीक्षण किया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी/16 तैयार की। उन्होंने मृतक के शरीर पर निम्नलिखित बाह्य चोटों के निशान देखे:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

i) माथे के मध्य में सूजन, आकार 7 सेमी x 5 सेमी;

ii) माथे के मध्य भाग पर बायीं ओर तक फैला हुआ विदीर्ण घाव, आकार 5 सेमी x 1½ सेमी x 1½ सेमी तथा

iii) नाक की जड़ पर विदीर्ण घाव, आकार 1½ सेमी x ½ सेमी x ½ सेमी

चोट क्र. (ii) और (iii) के नीचे थक्का जमा हुआ खून पाया गया। आंतरिक परीक्षण में, उन्होंने पाया कि बायाँ फेफड़ा छाती की दीवार से चिपका हुआ था और किसी बीमारी से बुरी तरह प्रभावित था। उन्होंने यह भी देखा कि तिल्ली का आकार 21 सेमी x 18 सेमी तक बढ़ गया था। शव परीक्षण सर्जन ने कहा कि चोटें मृत्युपूर्व थीं और मृत्यु का कारण उपरोक्त चोटों के कारण सदमा तथा फेफड़े और तिल्ली की बीमारी थी।

आगे की जाँच में, राधामल वैष्णव (अ.सा.-1) सहित प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए गए, जिन्होंने बताया कि अपीलार्थियों ने मृतक पर *लाठियों* और हाथ-मुक्कों से हमला किया था। इसके बाद, अपीलार्थियों को हिरासत में लिया गया और उनके मेमोरेंडम बयान दर्ज किए गए तथा उनकी निशानदेही पर *लाठियाँ* जब्त कर ली गईं। जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजा गया, जहाँ से एक रिपोर्ट (प्रदर्श पी/33 एवं पी/34) प्राप्त हुई। विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार, परीक्षण हेतु भेजी गई चारों *लाठियों* पर रक्त के धब्बे नहीं पाए गए तथा घटनास्थल से जब्त की गई मिट्टी पर ही खून के धब्बे पाए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोजन पक्ष का मामला राधामल वैष्णव (अ.सा.-1), बयाराम (अ.सा.-2), रामचरण (अ.सा.-3), धनसिंह (अ.सा.-4), पांडु (अ.सा.-5) और धेनुराम (अ.सा.-6) के प्रत्यक्षदर्शी बयानों पर आधारित था। उपरोक्त साक्षियों में से, राधामल वैष्णव (अ.सा.-1) को छोड़कर, सभी अपने बयानों से पक्षद्रोह हो गए और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने राधामल वैष्णव (अ.सा.-1) की एकमात्र साक्ष्य पर भरोसा करते हुए अपीलार्थियों को दोषी ठहराया और उपरोक्तानुसार सजा सुनाई।

(5) अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री माया वर्मा ने तर्क दिया कि राधामल वैष्णव (अ.सा.-1) की गवाही विश्वसनीय नहीं है; उसका साक्ष्य अस्वाभाविक है; उसके साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं; उसने 2 दिनों से अधिक समय तक किसी को भी घटना का खुलासा नहीं किया; और उसके साक्ष्य में कई विसंगतियां हैं, इसलिए, एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि बनाए नहीं राखी जा सकती।

(6) दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री अखिल मिश्रा ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(7) हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषसिद्धि एकल प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पर आधारित हो सकती है, लेकिन दोषसिद्धि का आधार बनने के लिए उसका साक्ष्य स्वाभाविक होना चाहिए और उसकी गवाही मजबूत और विश्वसनीय होनी चाहिए तथा उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, जिससे ऐसी गवाही पर कोई संदेह उत्पन्न हो। किसी आपराधिक मामले में महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने कितने गवाहों से पूछताछ की है, बल्कि यह है कि अभियोजन पक्ष जिन साक्ष्यों पर भरोसा करता है, उनकी प्रकृति और गुणवत्ता क्या है। इसी पृष्ठभूमि में, राधामल वैष्णव (अ.सा.-1) के साक्ष्य की आलोचनात्मक जाँच की जानी चाहिए।

(9) राधामल वैष्णव (अ.सा.-1) ने बयान दिया कि मृतक-भिकारी उर्फ मुंगली उसका शिष्य था। 3 मार्च 1990 को मृतक उसके घर आया। जब मृतक पाइकपारा गांव जाने के लिए अपने घर से निकला, तो वह पास के एक घर में गया जहां एक विवाह समारोह चल रहा था। बयाराम (अ.सा.-2) विवाह घर में आया था और बताया कि कुछ लोग मृतक के साथ

झगड़ा कर रहे हैं। इस पर वह घटनास्थल पर गया और देखा कि अपीलार्थी 1 से 7 मृतक पर *लाठियों* से हमला कर रहे थे। उसने अपीलार्थियों से बात की थी, जिस पर अपीलकर्ता-कामत ने उसे धमकाया। इसके बाद वह विवाह घर लौट आया और मृतक को बचाने के लिए कुछ लोगों को भेजा। जो लोग घटनास्थल पर गए थे, उन्होंने वापस आकर उसे बताया कि मृतक की मृत्यु हो गई है। प्रति-परीक्षा में, उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के बयान (प्रदर्श पी/1) से अवगत कराया गया, जिसमें उसने कहा था कि जब मृतक घर से निकला, तो उसने स्वयं उसके रोने की आवाज़ सुनी थी। वह घर से बाहर आया और देखा कि उपरोक्त अभियुक्तगण मृतक के साथ मारपीट कर रहे थे। दूसरा विरोधाभास यह था कि धारा 161 के बयान में उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब वह घटनास्थल पर पहुँचा, तो धन्नो, जाहरपाल, पुस्तक, धनसिंह, रामचंद, धेनु, पांडु, भकालू, शेषु, देजू आदि भी वहाँ मौजूद थे और वे मारपीट देख रहे थे, जिसका उसने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में खंडन किया था। जब उनसे ये बयान लिए गए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस के सामने इस तरह गवाही नहीं दी। हालाँकि, उन्होंने घटना को 5-6 गज की दूरी से देखने का दावा किया, लेकिन वे यह नहीं बता पाए कि उपरोक्त 7 आरोपियों/अपीलार्थियों में से कौन *लाठियों* से सुसज्जित था। यहाँ तक कि वे यह भी नहीं बता पाए कि उपरोक्त अभियुक्तों में से किसने मृतक पर हमला किया और कौन केवल खड़ा था। हम ध्यान दें कि शव-परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मृतक को केवल 3 बाह्य चोटें लगी थी। वे मामूली चोटें थीं और उपरोक्त चोटों के अनुरूप कोई आंतरिक चोटें नहीं थीं। यदि वास्तव में, 7 व्यक्ति मृतक पर उपरोक्त तरीके से हमला कर रहे थे, जैसा कि अ.सा.-1 ने बताया है, तो उसकी मौखिक गवाही और चिकित्सा साक्ष्य में ऐसा कोई विसंगति नहीं होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) हम अ.सा.-1 की गवाही में एक और महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर करते हैं, कि उसने प्रति-परीक्षा में यह बयान दिया कि घटना के 2-4 घंटे बाद, वह मृतक के शव को देखने गया था

और उस समय भी सभी 7 अपीलार्थी (अ-1 से अ-7) घटनास्थल पर मौजूद थे और उन्होंने उसे धमकाया था। सामान्य व्यवहार में, हमलावर घटनास्थल से तुरंत भागने की कोशिश करते। वे घटनास्थल पर 4 घंटे तक क्यों मौजूद रहेंगे? यह भी एक अतिशयोक्ति है जो इस गवाह की गवाही पर संदेह पैदा करती है। उपरोक्त के अलावा, हम अ.सा.-1 के आचरण पर भी गौर करते हैं कि उसने दिनांक 5.3.90 से पहले पुलिस को घटना के बारे में नहीं बताया, जब उसका 161 दंड प्रक्रिया संहिता का बयान दर्ज किया गया था। मृतक उसका शिष्य था। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, वह अ.सा.-1 के घर गया था और उसके जाने के तुरंत बाद, घटना घटी। अ.सा.-1 के अनुसार, उसने घटना देखी थी और उस समय अभियुक्तों द्वारा उसे धमकी दी गई थी और घटना के 4 घंटे बाद भी जब वह दोबारा घटनास्थल पर गया तो उसने अभियुक्तों को फिर देखा जिन्होंने उसे फिर से धमकाया, लेकिन उसने तुरंत पुलिस को अपनी ओर से रिपोर्ट नहीं की और न ही उसने दिनांक 4.3.90 को घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया जब पूछताछ आदि किया जा रहा था और उसने यह सब दिनांक 5.3.90 को ही बताया जब उसका धारा 161 का बयान दर्ज किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हम राधामल वैष्णव (अ.सा.-1) की गवाही पर भरोसा करना असुरक्षित महसूस करते हैं। उपरोक्त कारणों से, राधामल वैष्णव (अ.सा.-1) की एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता और यह निरस्त किए जाने योग्य है।

(12) परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 201 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश निरस्त किए जाते हैं। उन्हें उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह कहा गया है कि

अपीलार्थी जमानत पर हैं। उनके जमानत बंध-पत्र निरस्त किए जाते हैं और मुचलके उन्मोचित माने जाते हैं।

सही/- **सही/-**

मुख्य न्यायाधीश **सुनील कुमार सिन्हा**

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By – आकाश साहू

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur